उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 293.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नागरिक पूर्ति विभाग निदेशक (बाट और माप), उप निदेशक (बाट और माप) और सहायक निदेशक (बाट और माप) भर्ती नियम, 1985 को जहां तक उनका संबंध निदेशक (विधिक मापविज्ञान) के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), निदेशक (विधिक मापविज्ञान) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग, निदेशक (विधिक मापविज्ञान) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं। सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति नई पेंशन स्कीम से शासित होंगे।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय असैनिक सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक (विधिक मापविज्ञान)	01*.(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12,000-375-16,500 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत

1	2	3	4	5	6	7
						में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिकी विज्ञान या गणित (डिग्री स्तर पर भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो) या यांत्रिक/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स/कम्प्यूटर इन्स्ट्रूमेन्टेशन/सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ii) दस वर्ष का अनुभव, जिसके अंतर्गत मानकरण या व्यासमापन में प्रबंधकीय हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है या माप विज्ञान से संबंधित मदों में या विधिक मापविज्ञान से संबंधित कार्य में प्रशिक्षण या शिक्षण/मापविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान योजना या विकास/बाट और माप में दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.**–अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी/भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सेवा लोक संघ आयोग/सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु–नहीं शैक्षणिक योग्यता–हां।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : 10,000—15,200 रुपए के वेतनमान में ऐसा उप निदेशक (विधिक मापविज्ञान), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षिक अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। केन्द्रीय/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग — सदस्य 3. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशासन का भारसाधक) — सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग — सदस्य 2. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशासन) — सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव (स्थापना) या अन्य समतुल्य पंक्ति का अधिकारी — सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय और इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12011/17/99-स्थापना]

एस. के. नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 25th August, 2005

G.S.R. 293.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Civil Supplies [Director (Weights & Measures), Deputy Director (Weights & Measures) and Assistant Director (Weights & Measures)] Recruitment Rules, 1985 in so far as it relates to the posts of Director (Legal Metrology) except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director (Legal Metrology) under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified as in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Director (Legal Metrology)	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12,000-375-16,500	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determinig the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam,	Not applicable

		6	
		Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chammba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Essential : (i) Master's degree in Physics or Mathematics (with Physics as a subject at Degree level) or Degree in Mechanical/Electrical/Electronics/Computer/Instrumentation/Information Technology Engineering of a recognized University/Institute or equivalent. (ii) Ten years experience, including 5 years in a managerial capacity in standardisation or calibration or training in metrological items or in the work connected with legal metrology; or ten years experinece in teaching/research planning or development in the field of metrology/weights and measures. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the Posts reserved for them.	Age : No Educational qualifications : Yes	1 years for direct recruits

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Deputy Director (Legal Metrology) in the pay scale of Rs. 10000—15200 with five years, regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (including short term contract) : Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Autonoumous body or Statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with five years, service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committe exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) (1) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman (2) Secretary, Department of Consumer Affairs —Member (3) Additional/Joint Secretary in Charge of Administration —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract) and for amendment relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F. No. A-12011/17/99-Estt.]

S.K. NAYAK, Under Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 5—फरवरी 11, 2006, शनिवार/माघ 16—माघ 22, 1927

No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 5—FEBRUARY 11, 2006, SATURDAY/MAGHA 16—MAGHA 22, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 30.—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 293, तारीख 3 सितंबर, 2005 के अधीन जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, अनुसूची के पृष्ठ 1129-31 पर, स्तंभ 13 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित पढ़ा जाए :—

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

1.	अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
2.	सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग	सदस्य
3.	अपर/संयुक्त सचिव, प्रशासन का भारसाधक	सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग — अध्यक्ष
2. अपर/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग — सदस्य
3. निदेशक/उपसचिव (स्थापन) या समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी — सदस्य

[फा. सं. ए-12011/17/99-स्थापन]

एस. के. नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 2006

G.S.R. 30 .— In the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. Number 293, dated the 3rd September, 2005 at pages 1129—31 in the Schedule for the entry in column 13 may read as under :—

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman
2. Secretary, Department of Consumer Affairs —Member
3. Additional/Joint Secretary, Incharge of Administration —Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation)

1. Secretary, Department of Consumer Affairs —Chairman
2. Additional/Joint Secretary, Department of Consumer Affairs —Member
3. Director/Deputy Secretary (Estt.) or any other officer of equivalent rank —Member

[F. No. A-12011/17/99-Estt.]

S. K. NAYAK, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2006

सा. का. नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बंजर भूमि विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, डिस्पेच राइडर भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि संसाधन विभाग (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 293, तारीख 25 अगस्त, 2005 के द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (विधिक माप विज्ञान)] भर्ती नियम, 2005 की अनूसूची में :–

(i) स्तम्भ 4 में, स्तम्भ शीर्ष एक और प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात्

"वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान"

....

4

....

"15600-39100 रु. (वेतन बैण्ड-3+7600 रु. ग्रेड वेतन)."

(ii) स्तम्भ 12 में, 10000-15200 रु. के वेतनमान में, शब्द और अंक जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "15600-39100 रु. के वेतन बैण्ड (वेतन बैण्ड 3) +6600 रु. के ग्रेड वेतन में" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए. 12011/13/2009-स्था.]

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 293, तारीख 25 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। पश्चात्वर्ती सा.का.नि. 30, तारीख 1 फरवरी, 2006 द्वारा उसमें संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 17th December, 2009

G.S.R. 176.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment Rules, 2005 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 293, dated the 25th August, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the SCHEDULE to the Department of Consumer Affairs [Director (Legal Metrology)] Recruitment Rules, 2005,—

(i) in column 4, for the column heading and the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Pay Band and Grade Pay or Pay Scale

4

"Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7600".

(ii) in column 12, for the words and figures in the Pay scale of Rs. 10000-15200, wherever they occur, the words and figure "in the Pay Band (PB 3) of Rs. 15600-39100 plus Grade pay of Rs. 6600" shall be substituted.

[File No. A. 12011/13/2009-Estt.]

PREMA BHATT, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 293, dated the 25th August, 2005 and subsequently amended *vide* G.S.R. 30, dated 1st February, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.